99/06 उदाराम - मालीराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5-2-18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित बहस सुनी गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलान्टस् ने अदालत मातहत के दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा खरकड़ा में आराजी ख0नं0 5 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक भूमि थी । वादीगण एवं वादीगण के पिता पिछडे तबके के भूमिहिन थे । जिनको अलाटमेन्ट कमेटी ने दिनांक 2-6-66 को भूमि ख0नं0 5 में से वादी सं0-1 को 2 बीघा, वादी सं0-2 व 3 के पिता /पति सुलतान को 2 बीघा, जगुराम के वारिस वादी नं0-3 है। वादी सं0-5 को व वादी सं0-6 को 2, 2 बीघा, वादी सं0-7 के पिता खडगाराम को 2 बीघा, वादीं0-4 को 2 बीघा वादी सं0- 8 व 9 के पिता टोडाराम को 2 बीघा इस प्रकार कुल 16 बीघा का आंवटन किया गया । तथा कब्जा सम्भलाया गया । इस आराजी से प्रति- -वादी सं0-1 से 9 का कोई सम्बन्ध नहीं है ।किन्तु प्रतिवादीगण ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये गलत इन्द्राज से आराजी ख0नं0 5/740 व सडक बाबत कराकर वादीगण को अलाट शुद्धा भूमि पर जोर जबरदस्ती से कब्जा करना चाहते हैं । जिसके लिये यह दावा किया जिसे अदालत मातहत ने खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।	

सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नाकटिस तलब किया गया अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस एवं पत्रावली पर अवलोकन किया गया । आराजी ख0नं0 -5 सन् 1964 में ही वन विभाग को जाना प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने अपने जबाब में बताया है ।जमाबन्दी सं0 2046 से 2049 में ख0नं0 5 रकबा 7.39 हैक्टर की खातेदारी सरकारी वन के नाम दर्ज है । उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	

प्रदर्श-1 अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 2-6-1966 में ख0नं0 5 में से अपीलान्ट/वादीगण को एवं उनके पिता/पति को 2-2 बीघा का आवटन किया गया है किन्तु जमाबन्दी में विवादित आराजी सरकारी वन विभाग की दर्ज है। वन विभाग की आराजी का आवंटन अथवा नियमन कानूनन नहीं किया जा सकता आंवटन आदेश पर केवल तहसीलदार के हस्ताक्षर है कमेटी के अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है । जमाबन्दी में आंवटन 1966 में हुआ किन्तु उसका कोई इन्द्राज नहीं है । ख0नं0 5 जमाबन्दी में केवल वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है जिसका नियमानुसार आवंटन नहीं किया जा सकता । ख0नं0 5/740 रकबा 7.14 हैक्टर की खातेदारी सुण्नेलाल काशीनाथ पि0 देवकीनन्दन हि0 1/3, भगवानसहाय पुत्र सीताराम हि0 1/3 नन्दकिशोर पुत्र जगदीश हि0 1/3 के नाम दर्ज है । इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त हो ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य भी नहीं है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नही होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-4-2006 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर